

प्रेषक,

corrigendum(शुद्धि-पत्र)

जिला विद्यालय निरीक्षक
देवरिया।

सेवा में,

~~प्रश्न-पत्र~~

1. श्री शिव स्मारक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोगारी मिश्र, देवरिया।
2. श्री शारदा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फरियांवडीह देवरिया।
3. श्री पूर्णानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांसी देवरिया।
4. श्री गौतम ऋषि संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपरा रामधर देवरिया।
5. श्री देवकलीनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरपार देवरिया।
6. श्री ब्रम्हचर्य संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर कारखाना देवरिया।
7. श्री भागवतदास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघौचंघाट देवरिया।
8. श्री बंजरंगबली शिक्षण संस्थान संस्कृत उमावि० अण्डिला, देवरिया।
9. श्री ब्रम्हदेव तिवारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी बीरभद्र देवरिया।

पत्रांक/
विषय-

/2021-22

दिनांक- 10 सितम्बर, 2021

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 ग्रीष्मावकाश की अवधि को छोड़कर अथवा नियमित चयनित शिक्षक के आने तक हो, जो भी पहले को नितान्त अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-922/पन्द्रह-9-2021-2001(01)/2020 दिनांक 18 अगस्त 2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र० शिक्षा सामान्य(2)विस्तार अनुभाग प्रयागराज के पत्र पत्रांक/सामान्य(2)/विस्तार/3504-3596/2021-22 दिनांक 09.09.2021 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो शासनादेश संख्या-794/पन्द्रह-9-2021-2001(01)/2020 दिनांक 24 जुलाई 2021 के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-922/पन्द्रह-9-2021-2001(01)/2020 दिनांक 18 अगस्त 2021 के अनुक्रम में निदेशालय के पत्रांक/सामान्य(2)विस्तार/2218-2309 दिनांक 19.08.2021 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 ग्रीष्मावकाश का अवधि को छोड़कर अथवा नियमित चयनित शिक्षक के आने तक हो, जो भी पहले को, नितान्त, अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में है। शासनादेश दिनांक 18 अगस्त 2021 की प्रति के साथ विज्ञापन एवं आवेदन पत्र के प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित गया कि शासनादेश में विहित प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण में सूच्य है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-10554(ए)/2021 सुभाष तिवारी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 3 अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का निर्णय दिनांक 07.09.2021 का क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

In view of the fact that the State Government has admitted that the eligibility as prescribed in Appendix "A" to the Regulations of 2009 for prescribed qualification B.Ed. is not prescribed, the writ petition is disposed off with direction to the respondent to issue a corrigendum to the Advertisement dated 25.8.2021 published in daily newspapers namely 'Hindustan' and 'Amar Ujala' clarifying that requirement of B.Ed. qualification is not necessary for the candidates to apply for consideration for appointment to the post of teacher in Uttar Madhyma. As the last date of filling the application is 15.9.2021, it is directed that the corrigendum shall be issued prior to the said date or in the alternative, the State Government may extend the date for filling the application. In any event, any candidate, who does not possess B.Ed. qualification and possess the qualification as specified in Appendix "A" shall not be debarred in participating in the selection. The petition is disposed off in terms of the said direction. Copy of the order downloaded from the website of Allahabad High Court shall be accepted/treated as certified copy of the order. Order Date :- 7.9.2021

अतएव माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त निर्णय दिनांक 07.09.2021 के समादर में शासनादेश संख्या-1019/पन्द्रह-9-2021 दिनांक 08 सितम्बर, 2021 द्वारा Corrigendum(शुद्धिपत्र) निम्नवत है :-

1. अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 ग्रीष्मावकाश की अवधि को छोड़कर) अथवा नियमित शिक्षक के आने तक हो, जो भी पहले को, नितान्त अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-794/पन्द्रह-9-2021-2001(01)/2020 दिनांक 24 जुलाई 2021 के प्रस्तर-2 के क्रमांक-9 के चयन हेतु शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक

संस्कृत शिक्षा परिषद(संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) विनियमावली, 2009 जैसा कि परिशिष्ट "क" में दी गयी है, के अनुसार होने का उल्लेख है तथा शासनादेश संख्या-922/पन्द्र-9-2021-2001(01)/2020 दिनांक 18 अगस्त 2021 द्वारा प्रेषित विज्ञापन में भी उक्त आशय का उल्लेख है।

- विनियमावली-2009 के परिशिष्ट "क" में उत्तर मध्यमा स्तर के व्याकरण अध्यापक एवं सहित्य अध्यापक की सम्बन्धित विषय के क्रम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर (प्राचार्य) उपाधि शैक्षिक अर्हता है, बी0एड0 अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से जो परम्परागत-यथा-प्रथमा स्तर (कक्षा-6 से 8 तक) से पूर्व, पूर्व मध्यमा स्तर (कक्षा-9 एवं 10) से, उत्तर मध्यमा स्तर (कक्षा-11 से 12), महाविद्यालय स्तर शास्त्री(शास्त्री), आचार्य(स्नातकोत्तर) की उपाधि/शैक्षिक अर्हता रखता हो।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार **Corrigendum(शुद्धिपत्र)** को तत्काल आज ही दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार गुप्ता)
जिला विद्यालय निरीक्षक
देवरिया।

पृष्ठांकन संख्या / 4618-26 / 2021-22 तददिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-जिलाधिकारी,महोदय,देवरिया को अवलोकनार्थ।
- 2 शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 शिक्षा सामान्य(2)विस्तार अनुभाग प्रयागराज के पत्र पत्रांक/सामान्य(2) विस्तार/3504-3596/2021-22 दिनांक 09.09.2021 के क्रम में।
- 3-संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल गोरखपुर।
- 4-उप निरीक्षक,संस्कृत पाठशालाएँ,गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर।
- 5-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,देवरिया।
- 6-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,देवरिया को इस अनुरोध के साथ कि जनहित देवरिया के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें। (NIC)
- 7-जिला सूचना अधिकारी,देवरिया को अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से निःशुल्क दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 8-ब्यूरोचीफ, दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त शुद्धिपत्र को अपने सम्मानित समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक
देवरिया।